Order Sheet (Subsequent)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
जोधपुर

CNR NUMBER 2023/833

Number of Case A/120/ Year 2024

लक्ष्मण सिंह देवड़ा व अन्य Versus रमेश चन्द्र व अन्य

अन्तर्गत धारा - 212 RTA - 1955

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
11/07/2024	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण हस्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24/07/2024 को पेश हो।	
24/7/24	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण हस्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 06/8/2024 को पेश हो।	
6/8/24	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण हस्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23/8/24 को पेश हो।	
23/08/24	पत्रावली पेश। वकुलाय उप.। उभयपक्ष बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 27/08/24 को पेश हो। Priinka सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	
27/08/24	पत्रावली पेश। उभयपक्ष बहस परिश्रवण किया गया। मुताबिक बहस अधि. प्रार्थी- "विवादित भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 01 ता 05 की पैतृक सह-खातेदारी भूमि है। विवादित 56-11 बीघा भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज रामा के हक में 1/2 हि. दर्ज थी। रामा की मृत्यु के पश्चात उनका हिस्सा उनके 02 पुत्रों रवींवराज व गंगाराम में 1/4-1/4 हि. दर्ज हो गया। गंगाराम के देहांत पश्चात उनका संपूर्ण 1/4 हि. उनकी इकलौती पुत्री शांतिदेवी में निहित हो गया। शांतिदेवी द्वारा वर्ष 2021 में अपने संपूर्ण हिस्से की वसीयत प्रार्थीगण के पक्ष में कर दी गई थी, जिसका इंद्राज revenue record में हो गया है। अप्रार्थी सं. 01 ता 05 ने एक suit under section 88, 188 of Raj Tenancy Act 1955 दायर कर राजीनामा के आधार पर वर्ष 2005 में decree प्राप्त कर ली। उक्त राजीनामा के fraud	

Order Sheet (Subsequent)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

CNR NUMBER 2023/833

Number of Case A/120/Year 2024

लक्ष्मण सिंह देवड़ा व अन्य Versus रमेश चन्द्र व अन्य

अन्तर्गत धारा - 212 R.T.A - 1955

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	होने की जानकारी होने पर शांति देवी ने मा. राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में appeal दायर की। उक्त appeal के निर्णय दिनांक 03/06/22 में गुणावगुण के आधार पर वाद निस्तारण के निर्देश दिये गये। जिसकी appeal मा. राजस्व मंडल में लंबित है। अप्रार्थी सं. 01 ता 05 विवादित भूमि का बेचान करना चाहते हैं एवं अवैध निर्माण का प्रयास कर रहे हैं। अतः अप्रार्थीगणों को मौका एवं record की यथास्थिति हेतु पाबंद किया जावे।"	
	अधि. अप्रार्थी की बहस अनुसार "ख. सं. 1732 के अतिरिक्त अन्य खसरात पर प्रार्थीगण को कोई हक नहीं है। वर्ष 2005 में न्यायालय सहायक कलक्टर द्वारा पारित निर्णय द्वारा ख. सं. 1732 की खातेदारी शांतिदेवी के नाम दर्ज की गई। वसीयत की गई भूमि की खातेदारी शांतिदेवी के हक में ना होने से अप्रार्थीगण को कोई अधिकार हासिल नहीं हुए। उक्त वसीयत के आधार पर हुए mutation के विरुद्ध श्रीमान ADC न्यायालय में appeal लंबित है, जिसमें स्थगन जारी है। पूर्व में विवादित खसरों के संबंध में न्यायालय द्वारा	

Order Sheet (Subsequent)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर CNR NUMBER 2023/833

Number of Case A/120/Year 2024

लक्ष्मण सिंह देवड़ा व अन्य Versus रमेश चन्द्र व अन्य

अन्तर्गत धारा - 212 RTA - 1955

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	निर्णय पारित कर दिया गया है, अतः पुनः उसी भूमि के संबंध में सुनवाई का अधिकार न्यायालय को नहीं है। अतः प्रा॰ पत्र खारिज किया जावे।"	
	अप्रा॰ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत citation Alka Gupta V/s Narendra Kumar Gupta - H'Supreme court judgement "Bar of second suit under O2R2 CPC is not applicable where second suit is based on different & distinct cause of action. whether relief claimed in both suits arose from same cause of action"	
	उपरोक्त बहस, तथ्यों, दस्तावेजों के आधार पर प्रा॰ पत्र का निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है- चूंकि प्रार्थीगण के द्वारा वसीयत के आधार पर भरे गए mutation के आधार पर relief चाहा गया है। उक्त वसीयत एवं विवादित भूमि की खातेदारी के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में appeals विचाराधीन है। नामान्तरकरण की कार्यवाही में किसी के अधिकार तय नहीं होते एवं स्वत्व निर्धारण हेतु appeal मा॰ Revenue Board में लंबित है, अतः Subjudice matter में किसी	

भी प्रकार का स्थगन जारी करना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त के आधार पर प्रा. पत्र अस्वीकार किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल- शुमार होकर दाखिल- दफतर हो।

Prinjot
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) सत्यमेव जयते जोधपुर